BRITISH COLUMBIA | Ministry of Justice

पीड़ित प्रभाव विवरण व क्षतिपूर्ति विवरण
सूचना पुस्तिका

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट (पीड़ित प्रभाव विवरण) क्या है?

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट यह दर्शाने वाला एक लिखित वर्णन है कि अपराध से पीड़ित किस प्रकार प्रभावित हुआ है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में अपराध का विवरण अथवा अपराध कैसे घटित हुआ यह विवरण शामिल नहीं होता है। यह जानकारी आप द्वारा पुलिस को दिए जाने वाले गवाह बयान में शामिल की जानी चाहिए। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है अथवा दोष स्वीकार कर लेता है तो विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट का प्रयोग उसे सज़ा दिए जाने के समय किया जाता है।

अपराध से शारीरिक अथवा भावनात्मक नुकसान, संपत्ति को नुकसान अथवा आर्थिक घाटा हो सकता है। पीड़ित को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका इस्तेमाल न्यायाधीश यह तय करने में कर सकता है कि अपराध कितना गंभीर है और उचित सज़ा क्या दी जाए।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को लिखित रूप में तैयार करना ज़रूरी है और इसके लिए क्रिमिनल कोड में दिए गए फॉर्म (फॉर्म 34॰2) का प्रयोग किया जाए। यह फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के internet (www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/info-sheets/victim_impact_statements.htm) पर कई भाषाओं में उपलब्ध है।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट कौन भर सकता है?

यदि किसी अपराध की वजह से आपको कोई शारीरिक अथवा मानसिक नुकसान, संपत्ति का नुकसान अथवा कोई आर्थिक नुकसान हुआ है तो आप विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट भर सकते हैं।

यदि आप विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट भरने में समर्थ नहीं हैं तो कोई अन्य व्यक्ति, आमतौर पर परिवार का ही कोई सदस्य आपकी ओर से इस स्टेटमैंट को भर सकता है। पीड़ित द्वारा स्वयं विवरण न भरे जाने का कारण स्पष्ट किया जाना ज़रूरी होगा और स्टेटमैंट भरने वाले व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

क्या मुझे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट भरना ज़रूरी है?

नहीं। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट भरना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में दी गई जानकारी क्राउन काउंसल (सरकारी वकील) और न्यायाधीश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें भली–भांति यह समझने में मदद मिलती है कि अपराध ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है।

मैं विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट किस प्रकार भर सकता/सकती हूं?

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट आपके अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यह वर्णन करें कि अपराध ने आप और आपके परिवार को किस प्रकार प्रभावित किया है। आपको न्यायालय के अनुमोदन के बिना किसी भी हाल में न तो अभियुक्त के संबंध में टिप्पणी करनी चाहिए, न अपराध के तथ्यों का विवरण देना चाहिए (जो घटित हुआ वह न बताऐं), और न ही सज़ा के संबंध में अपने विचार देने चाहिए।

यदि आपने कोई ऐसा चित्र बनाया है, अथवा कविता लिखी है या पत्र लिखा है जिससे आपको अपराध के कारण खुद पर हुए प्रभाव को व्यक्त करने में मदद मिलेगी, तो आप उसे अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में शामिल कर सकते हैं।

क्राउन काउंसल विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट की जांच करने के लिए उत्तरदायी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई अनुपयुक्त टिप्पणी शामिल न हो।

यदि आपको अपनी, और/अथवा अपने परिवार अथवा मित्रों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है और आप नहीं चाहते कि आपका अभियुक्त के साथ कोई संपर्क हो (नो–कॉन्टेक्ट), तो आपको उस चिंता के बारे में अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में बताना चाहिए। **यदि आपको अभियुक्त से किसी तात्कालिक सुरक्षा खतरे की चिंता है, और/अथवा यदि वह नो–कॉन्टेक्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए आपसे संपर्क कर रहा/रही है तो आपको इसकी सूचना पुलिस को तत्काल देनी चाहिए।**

आप विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट के सभी अथवा कुछ भागों को भर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके लिए लागू नहीं होता है अथवा आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको उसका उत्तर देना ज़रूरी नहीं है। यदि आपको अधिक स्थान की आवश्यकता है तो आप अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ सकते हैं।

क्या मैं अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को अद्यतन कर सकता/सकती हूं?

हां, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको एक और विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट पूरा करके यह जानकारी जोड़नी होगी कि अपराध के कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ा और उसे क्राउन काउंसल को देना होगा। आरोपी और बचाव पक्ष के वकील को भी इससे अवगत कराया जाएगा।

क्या विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट भरने में कोई मेरी मदद कर सकता है?

हां। यदि आपको लिखित में यह वर्णन करने में कठिनाई आ रही है कि अपराध ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है तो कोई पीड़ित–सेवा कार्यकर्ता, मित्र अथवा परिवार का सदस्य आपकी सहायता कर सकता है।

यदि आपको यह चिंता है कि न्यायालय की अगली तारीख से पहले क्राउन काउंसल के पास स्टेटमैंट पहुंच जाएगा या नहीं, तो कृपया अपने स्थानीय क्राउन काउंसल ऑफिस को फोन करें। अपने स्थानीय क्राउन काउंसल ऑफिस का पता करने के लिए, सर्विस बीसी से 1-800-663-7867 पर संपर्क करें अथवा http://dir.gov.bc.ca/ पर बीसी गवर्मन्ट डायरेक्टरी में जाएं।

क्या मैं अपने आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी शामिल कर सकता(ती) हूं?

हां, आप इस संबंध में जानकारी शामिल कर सकते हैं कि अपराध ने आप पर क्या वित्तीय प्रभाव डाला है। आर्थिक नुकसान संबंधी जानकारी दो उद्देश्यों को पूरा करती है। कई उल्लंघनों के मामले में, आर्थिक नुकसान की मात्रा अपराध की गंभीरता को दर्शाती है और यदि आरोपी दोषी सिद्ध करार दिया जाता है तो इससे न्यायाधीश को उचित सज़ा निर्धारित करने में मदद मिलती है। इस के अलावा, परिस्थितियों के आधार पर और मामले के प्रकार के आधार पर, न्यायाधीश आर्थिक नुकसान से संबंधित जानकारी का प्रयोग कर यह आदेश जारी **कर सकता** है कि आरोपी, पीड़ित को हुए उन नुकसानों की भरपाई करे। न्यायाधीश सिविल कानूनी मुकदमे की अपेक्षा फौजदारी मामले में ऐसे आदेश पारित करने में अधिक सीमित होता है, लेकिन वह क्षतिपूर्ति आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) अथवा क्षतिपूर्ति का आदेश, परिवीक्षा (प्रोबेशन) अथवा सशर्त सज़ा आदेश की एक शर्त के तौर पर जारी कर सकता है जो निम्नलिखित जैसे नुकसानों को संबोधित करता हो:

- किसी भी खोई हुई, क्षतिग्रस्त, अथवा नष्ट हुई संपत्ति का मूल्य और मरम्मत अथवा उसे बदलने का खर्च;
- काम से छुट्‌टी लेने के कारण हुआ वित्तीय नुकसान (उदाहरण के लिए, आय का नुकसान);
- बीमा द्वारा कवर न किया गया चिकित्सा, परामर्श अथवा उपचार संबंधी खर्च;
- कोई भी खर्च अथवा नुकसान जो बीमा द्वारा कवर न हो, जिसमें बीमा हेतु कटौती योग्य राशि शामिल है;
- यदि पीड़ित और आरोपी एक ही परिवार में रहते थे और अपराध की वजह से पीड़ित को वह घर छोड़ना पडा है तो घर बदलने संबंधी खर्च जैसे कि अस्थाई आवास, भोजन, बच्चे की देखरेख और परिवहन का खर्च;
- धोखाधड़ी अथवा चोरी की वजह से धनराशि का हुआ नुकसान।

क्षतिपूर्ति विवरण (स्टेटमैंट ऑन रेस्टिटूशन) क्या है?

क्षतिपूर्ति विवरण (स्टेटमैंट ऑन रेस्टिटूशन) (फॉर्म 34.1) वह फॉर्म है जो आपको यह इंगित करने के लिए भरना पड़ता है कि आप क्षतिपूर्ति चाहते हैं अथवा नहीं और इसमें आपके घाटे और नुकसान बताए जाते हैं। सज़ा के भाग के रूप में, न्यायाधीश रेस्टिटूशन ऑर्डर देने पर विचार कर सकता है, जिसके तहत अपराधकर्ता द्वारा पीड़ित को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना होता है और यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता तो पीड़ित को यह आदेश सिविल न्यायालय में दायर करने एवं लागू करवाने का अधिकार होता है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में दी गई जानकारी, रेस्टिटूशन ऑर्डर हेतु आवेदन **नहीं** है। आपको रेस्टिटूशन ऑर्डर का आवेदन करने के लिए एक अलग क्षतिपूर्ति विवरण यानी स्टेटमैंट ऑन रेस्टिटूशन (फॉर्म 34.1) भरना होता है। यह फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के internet (www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/info-sheets/victim_impact_statements.htm) पर कई भाषाओं में उपलब्ध है।

क्या मुझे अपनी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट में बताए गए एवं अपने स्टेटमैंट ऑन रेस्टिटूशन में निवेदन किए गए वित्तीय प्रभावों के लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी?

अपराध से पड़े वित्तीय प्रभाव की जानकारी देने से ऐसा आदेश जारी किया **जा सकता** है कि आरोपी आपके घाटे अथवा नुकसान की भरपाई या तो परिवीक्षा (प्रोबेशन) या सशर्त सज़ा आदेश (कंडीशनल सन्टेस ऑर्डर) या रेस्टिटूशन ऑर्डर की शर्त के तौर पर करेगा, लेकिन ऐसे आदेश स्वतः नहीं होते हैं। आपके नुकसान की राशि न्यायालय द्वारा आसानी से निर्धारण योग्य होनी चाहिए और आप न्यायालय को अपने दावे के समर्थन में बिल, रसीदों और आकलनों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि इनमें से किसी दस्तावेज में ऐसी व्यक्तिगत जानकारी है जिसे आप अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं जैसे आपका पता अथवा क्रेडिट कार्ड नंबर, तो आपको दस्तावेज संलग्न करने से पहले इन जानकारियों को हटा देना चाहिए। यदि आरोपी आदेश का भुगतान नहीं करता है, तो आदेश के प्रकार के आधार पर, आप द्वारा अथवा प्रोबेशन अधिकारी द्वारा आगे न्यायालय कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है।

चाहे न्यायाधीश आपको भुगतान करने का आरोपी को आदेश दे या नहीं, उससे आपके इस अधिकार पर फ़र्क नहीं पड़ता जिसके तहत आप एक सिविल मुकदमा डालकर क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं अथवा क्राइम विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम (अपराध पीड़ित सहायता कार्यक्रम) में आवेदन दे सकते हैं।

सिविल मुकदमे शुरू करने और क्षतिपूर्ति आदेशों का लागू कराने संबंधी जानकारी कोर्ट रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकती है। आप किसी वकील से भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप टॉल फ्री नंबर 1-844-660-4898 पर अथवा Restitution@gov.bc.ca पर ई–मेल द्वारा भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के रेस्टिटूशन प्रोग्राम में संपर्क कर सकते हैं।

यदि अपराध की वजह से आपको चोट लगती है (शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक) तो आप चोट के परिणामस्वरूप हुए खर्च में सहायता के लिए क्राइम विक्टिम असिस्टेंस एक्ट के अन्तर्गत लाभों के पात्र हो सकते हैं।

एक विक्टिम सर्विस वर्कर (पीड़ित–सेवा कार्यकर्ता) आपको क्राइम विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा अथवा आप 1-866-660-3888 पर क्राइम विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम को फोन कर सकते हैं।

मेरी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा?

आपका पूरा किया हुआ विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट सज़ा सुनाते समय न्यायाधीश को दिया जाएगा अथवा क्राउन काउंसल आप द्वारा दी गई जानकारी का प्रयोग करके आप पर हुए अपराध के प्रभाव की जानकारी न्यायाधीश को दे सकता है। आप सज़ा की सुनवाई के समय उपस्थित हो सकते हैं और सुनवाई के समय अपनी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को स्वयं पेश करने का अनुरोध कर सकते हैं। कृपया जल्दी से जल्दी अपने विक्टिम सर्विस वर्कर अथवा क्राउन काउंसल को बता दें कि आप इसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे या नहीं, और यदि करना चाहेंगे, तो क्या आप अपना स्टेटमैंट स्वयं पढ़ना चाहेंगे अथवा अपनी ओर से क्राउन काउंसल से पढ़वाना चाहेंगे।

यदि आप पढ़कर अपना अपना विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमैंट पेश करना चाहेंगे, तो आप उसे किसी सहायता करने वाले की मौजूदगी में पढ़ने का अनुरोध कर सकते हैं, अथवा इस प्रकार पढ़ने का अनुरोध कर सकते हैं कि अपराधी पर आपकी नजर न पड़े, जैसे कि कोर्टरूम के बाहर क्लोज़्ड सर्किट टीवी द्वारा, अथवा स्क्रीन के पीछे से। यदि आप इनमें से किसी समायोजन का प्रयोग कर अपना स्टेटमैंट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह बात सज़ा सुनाने की तारीख से जितना पहले संभव हो सके अपने क्राउन काउंसल को बता देनी चाहिए, ताकि इन विकल्पों पर चर्चा की जा सके। कृपया अपने विक्टिम सर्विस वर्कर से सज़ा की सुनवाई में शामिल होने के लिए उपलब्ध सहायता के बारे में पूछें, जिसमें यात्रा सहायता भी शामिल है।

विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमैंट पेश करने के समय के लिए, आप अपना एक फ़ोटो भी लेकर आ सकते हैं जो अपराध से पहले लिया गया हो, यदि उससे आपको कोई सहायता मिलती हो, और यदि न्यायाधीश की राय में इससे कार्यवाही में कोई व्यवधान न पड़ता हो। यदि पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमैंट पेश किया जा रहा है (जैसे कि मामले में मौत शामिल हो), तो वह व्यक्ति अपने साथ पीड़ित का फोटो ला सकता है जो अपराध से पहले लिया गया हो, लेकिन फिर से, ऐसा तभी होगा यदि न्यायाधीश की राय में इससे कार्यवाही में कोई व्यवधान न पड़ता हो।

क्राउन काउंसल को आपकी स्टेटमैंट की एक प्रति बचाव पक्ष के वकील अथवा आरोपी को अवश्य मुहैया करानी होगी।

बचाव पक्ष का वकील अथवा आरोपी सुनवाई शुरू होने से पहले आपकी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट देख सकता है और उसकी विषय–वस्तु के संबंध में आपसे ज़िरह की जा सकती है।

यदि आपकी स्टेटमैंट न्यायालय में दायर की गई है तो बाद में फ़ेडरल परोल अथवा प्रॉविंशियल प्रोबेशन ऑफिसर अथवा पेरोल बोर्ड ऑफ कैनेडा द्वारा अपराधकर्ता की रिहाई की शर्तें तय करने में उसका प्रयोग किया जा सकता है।

मुझे अपनी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट कब और कहां लौटानी चाहिए?

आप अपनी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट अथवा स्टेटमैंट ऑन रेस्टिटूशन को पूरा भर कर, उस पर हस्ताक्षर करके, उसे आवरण पृष्ठ के साथ संलग्न करके, दिनांक डालें और सभी पृष्ठों को अपने स्थानीय क्राउन काउंसल कार्यालय में डाक द्वारा भेज दें अथवा, फैक्स करें अथवा साथ लेकर आएं। आपकी विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमैंट को क्राउन काउंसल में यथाशीघ्र देना महत्वपूर्ण है ताकि आरोपी को सज़ा दिए जाने से पहले यह उनको मिल जाए।

विक्टिम सर्विसेज़ (पीड़ित–सेवाएं)

यदि आप उपलब्ध विक्टिम सर्विसेज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

VictimLink BC

टॉल–फ्री कॉल करें: 1-800-563-0808

ज्ज्ल कॉल करें: 604-875-0885

कलेक्ट कॉल करें: 711 पर TELUS Relay Service का प्रयोग करें।

टेक्स्ट: 604-836-6381

ई–मेल: VictimLinkBC@bc211.ca

www.victimlinkbc.ca